

13

प्रपत्र
बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

निदेशक संख्या
संख्या... 2197/6
दिनांक... 21/05/2011

- संज्ञक :-
- 1- निदेशक,
समाज कल्याण
उ०प्र०, लखनऊ
 - 2- सनस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग -2 लखनऊ: दिनांक: 19 मई, 2011

विषय:- महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल गृहों के बच्चों का आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश दिया जाना।

2830/PS/WCD/विहोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालगृहों के आवासित बच्चे चूंकि निराश्रित और पूर्णतया राज्य सरकार के संरक्षण में होते हैं। अतः उनकी शिक्षा-दीक्षा तथा उनका सर्वांगीण विकास का दायित्व राज्य सरकार का है। अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बालगृहों में आवासित बालक/बालिकाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश दिया जाय।

इस हेतु जिला प्रोवेंशन अधिकारियों/संस्थाध्यक्षों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बालगृह में आवासित इस प्रकार के बच्चों को चिन्हित करके उनकी शिक्षा के स्तर के अनुरूप सत्र के प्रारम्भ में जिला समाज कल्याण अधिकारियों की सूची के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी उक्त उपलब्ध संस्थानों के अधिकार पर सनस्त बच्चों का आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश हेतु अनुमति करेंगे। सत्रावसान अथवा अवकाश अवधि में संबंधित आश्रम पद्धति विद्यालयों से बच्चों को पुनः संस्था में प्रवेश कराने का उत्तरदायित्व संस्थाध्यक्ष/ जिला प्रोवेंशन अधिकारी का होगा। अवकाश अवधि समाप्त होने अथवा सत्र के पुनः प्रारम्भ होने पर पुनः आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। उक्त बालक/बालिकाओं के संबंध में बालगृहों द्वारा अन्य सभी दायित्वों का पालन यथावत किया जाता रहेगा। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

VSI (13)

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

दिनांक 21/5/11

भयदीप

अर्थात्

3.24.11 जिला प्रोवेंशन अधिकारी (बलविन्दर कुमार) प्रमुख सचिव

10

7/5/11

-2-

संख्या-1726/28-3-2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, महिला एवं बाल विकास।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. सम्स्त जिला परिवोक्ता अधिकारी, उ०प्र०।
4. महिला कल्याण अनुभाग-1
5. गार्डफाईल

आज्ञा की

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव